न्यायालय– एकादश्, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।
ए.बी.पी.न0–532 / 2026
मढ़ौरा थाना कांड सं0–503 / 2022

अजीत कुमार उर्फ अजीत कु0 राय वगैरह बनाम् बिहार राज्य

09.03.2026 आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1 अजीत कुमार उर्फ अजीत कुमार राय 2 मुन्ना राय एवं 3 बद्री राय उर्फ जितेन्द्र यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–532/2026, मढ़ौरा थाना कांड सं0 503/2022, अंतर्गत धारा 341,323,308,504,506/34 भा0द0वि0 में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री जितेन्द्र कुमार सिंह को सुना।

मामले में सूचक के अनुसार अभियुक्त पर आरोप संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2022 को समय 7:30 बजे संध्या में सूचक अपने घर से गौरा बाजार जा रहा था सिमेंट का पैसा देने के लिए जैसे ही गोपापुर पूल के पास पहुंचा तो पूर्व से मौजूद अजीत कुमार, मुन्ना राय, बद्री राय ने अपने–अपने हाथ में लोहे का रड दाब लिए हुए सूचक को घेर लिये और गाली देने लगे जब सूचक गाली का विरोध किया तो उक्त तीनों ने सूचक को मारने लगे। तभी अजीत कुमार अपने हाथ में लिये लोहे का दाब से जान मारने के नियत से वार किया जिससे सूचक का सर फट गया और खून से लहु लुहान हो गया और जमीन पर गिर गया तभी मार–पीट के क्रम में मुन्ना कुमार ने सूचक के पॉकेट से सतरह हजार रु0 छीन कर भा गया जो सूचक सिमेंट का पैसा देने के लिए रखा था और बद्री राय ने सूचक का मोबाईल जियों कम्पनी का छीन कर भा गया। तभी वहां ग्रामीण एकत्र हुए और ग्रामीणों के सहयोग से बेहतर ईलाज हेतु प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र नगरा लेकर गया जो वहां से सूचक को सदर अस्पताल छपरा के लिए रेफर कर दिया गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कहा गया कि आवेदकगण की ओर एबीपी 421/2023 दाखिल किया गया था जो खारिज हो चुका है। अन्य कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष हैं उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण पर लगाये गये आरोप झूंठा है। आवेदकगण का आपराधिक इतिहास नहीं है। उभय पक्ष के बीच आपस में सुलह हो गया है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध काफी गंभीर प्रकृति का है। इसलिए आवेदकगण का जमानत आवेदन खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी मढ़ौरा थाना कांड सं0 503/2022, अंतर्गत धारा 341,323,308,504,506/34 भा0द0वि0 में आवेदकगण के विरूद्ध पंजीकृत कराई गई है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट है कि कांड दैनिकी के कंडिका–27 में जख्म प्रतिवेदन है जिसमें चिकित्सक ने जख्म को साधारण प्रकृति का पाया है। कंडिका–32 में आवेदकगण के आपराधिक इतिहास के सदंर्भ में अंकित है जिसके अनुसार आवेदकगण आपराधिक इतिहास नहीं है। मूल अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्ष के बीच वाद में सुलह कर लिया गया है और सुलहनामा मूल अभिलेख के साथ संलग्न है। सुनवाई के क्रम में उभय पक्ष द्वारा सुलह का समर्थन किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को निम्न शर्तो पर जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः 1 अजीत कुमार उर्फ अजीत कुमार राय 2 मुन्ना राय एवं 3 बद्री राय उर्फ जितेन्द्र यादव के द्वारा इस आदेश से 25 दिन के अंदर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म–समर्पण करने या गिरफ्तार किये जाने पर उक्त आवेदक अभियुक्तागण को मो0 10,000/रु0 के बन्ध पत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं वाले बन्ध–पत्र निष्पादित किये जाने पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर द0प्र0स0 की धारा 438(2) में उल्लिखित प्रावधानों एवं एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होगा, के शर्तो के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

एकादश, अपर सत्र न्यायाधीश
सारण, छपरा।